भारत सरकार

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 1981

उत्तर देने की तारीख : 14.12.2023

मदरसा बोर्ड

1981. डॉ. थोल तिरुमावलवन:

क्या **अल्पसंख्यक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने मदरसा शिक्षा को मान्यता प्रदान करने के लिए कोई कदम उठाया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) मदरसा बोर्ड को मान्यता प्रदान करने वाले राज्यों की संख्या का ब्यौरा क्या है और इस संबंध में उत्तराखंड की स्थिति क्या है; और

(ग) मदरसा बोर्डों में स्कूली शिक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्रों का वर्ष-वार और राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

अल्पसंख्यक कार्य मंत्री

(श्रीमती स्मृति ज़ूबिन इरानी)

(क) से (ग): सरकार कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय, वस्त्र मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय व जल शक्ति मंत्रालय आदि के माध्यम से अल्पसंख्यकों, विशेष रूप से आर्थिक रूप से कमजोर और समाज के कम विशेषाधिकार प्राप्त वर्गों सहित हर वर्ग के कल्याण और उत्थान के लिए विभिन्न योजनाओं को कार्यान्वित करती है।

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने 2021-22 के दौरान मदरसों/अल्पसंख्यकों को शिक्षा प्रदान करने की योजना एसपीईएमएम को लागू किया जिसमें दो उप-योजनाएं - मदरसों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने की योजना (SPEMM) और अल्पसंख्यक संस्थानों में बुनियादी ढांचा विकास (IDMI) शामिल हैं। एसपीक्यूईएम के तहत पारंपरिक संस्थानों जैसे मदरसों और मकतबों को उनके पाठ्यक्रम में विज्ञान, गणित, सामाजिक अध्ययन, हिंदी और अंग्रेजी जैसे विषयों को शामिल करके आधुनिक शिक्षा आरम्भ करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की गई थी। आईडीएमआई के तहत अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों (प्राथमिक/माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों) में अल्पसंख्यक

समुदायों के बच्चों की औपचारिक शिक्षा हेतु सुविधा को बढ़ाने के उद्देश्य से स्कूल के बुनियादी ढांचे को बढ़ाने और मजबूत करने के लिए सहायता प्रदान की है। योजना के तहत केवल उन्हीं मदरसों पर अनुदान के लिए विचार किया गया था जो किसी भी मान्यता प्राप्त स्कूल शिक्षा बोर्ड से संबद्ध हैं। मदरसों/अल्पसंख्यकों को शिक्षा प्रदान करने की योजना (एसपीईएमएम) के तहत 2021-22 के दौरान योजना के घटक को बिहार झारखंड, छत्तीसगढ, राजस्थान, त्रिपुरा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू एवं कश्मीर को संवितरित किया गया।

स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार मदरसा बोर्ड से अपनी स्कूली शिक्षा पूरी कर उत्तीर्ण हुए छात्रों की संख्या संलग्न है।

*****

अनुबंध

'मदरसा बोर्ड' के संबंध में लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1981 जिनका उत्तर दिनांक 14.12.2023 को दिया जाना है, के भाग (क) और (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

मदरसा बोर्ड से स्कूली शिक्षा में शामिल होने वाले और उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या का ब्यौरा निम्नानुसार है:

1. कक्षा- X

क्रम सं.	राज्य	बोर्ड का नाम	छात्रों की संख्या 2022	
			शामिल	उत्तीर्ण
			कुल	कुल
1	असम	राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड, असम	4734	3263
2	बिहार	बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड, विद्यापति मार्ग, पटना	55154	52764
3	छत्तीसगढ	छत्तीसगढ मदरसा बोर्ड, रायपुर	123	115
4	पश्चिम बंगाल	पश्चिम बंगाल राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड	68714	59988
कुल			**128725**	**116130**

***स्रोत:** माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक परीक्षा के परिणामों पर रिपोर्ट– 2022, शिक्षा मंत्रालय

2. कक्षा – XII

क्रम सं.	राज्य	बोर्ड का नाम	छात्रों की संख्या 2022	
			शामिल	उत्तीर्ण
			कुल	कुल
1	बिहार	बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड, विद्यापति मार्ग, पटना	37990	37504
2	छत्तीसगढ	छत्तीसगढ मदरसा बोर्ड, रायपुर	102	96
3	पश्चिम बंगाल	पश्चिम बंगाल राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड	5034	4568
कुल			**43126**	**42168**

***स्रोत:** माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक परीक्षा के परिणामों पर रिपोर्ट – 2022, शिक्षा मंत्रालय